

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

—: संकल्प :—

340
21/02/2022

SMITH Ji
Secondary Wintanant
21/02/22

विषय :— मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध में।

विभागीय संकल्प सं.-826 दिनांक-14.03.2019 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई है। यह छात्रवृत्ति वर्ग-9 से वर्ग-12 तक के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। उक्त छात्रवृत्ति परीक्षा में वर्ग-7 में यथानिर्धारित प्राप्तांक (55% अंक) सहित उत्तीर्ण तथा वर्ग-8 में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

2. यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना, पढ़ाई के प्रति रुझान तथा Competency Level बढ़ाया जाय ताकि राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं यथा NTSE (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा) अथवा NMMSS (राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना) की परीक्षा में सफलता हेतु सक्षम बनाया जा सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना हेतु परीक्षा में भाग लेने की पात्रता एवं स्वरूप में निम्नवत् संशोधन का निर्णय लिया गया।

3. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या-826 दिनांक-14.03.2019 की कंडिका-8 (III) की उपकंडिका-i में परीक्षा के प्रारूप के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :-

i. छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा किया जायेगा, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न विषयवार यथा: गणित-50, विज्ञान-50 तथा अंग्रेजी-50 प्रश्नों की होगी। इसके लिए 120 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न वर्ग-7 एवं वर्ग-8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा। उपरोक्त सभी विषयों में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उक्त उप कंडिका-i के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है -

i. छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का आयोजन JAC राँची द्वारा किया जायेगा। प्रश्नपत्र दो खण्डों में होगा -

खण्ड-1 – बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) – इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें Reasoning, English Proficiency तथा Hindi Proficiency से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक/तार्किक क्षमता को परखने हेतु Reasoning अन्तर्गत Analogy, Classification, Numerical Series, Pattern Perception, Hidden Figures आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। जिसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित होगा। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा।

खण्ड-2 – शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test) – इसके अन्तर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न (प्रति विषय 30 प्रश्न) समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या –90 होगी तथा इसके लिये 90 मिनट समय निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न वर्ग-7 एवं वर्ग-8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

प्रत्येक खण्ड (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में भाग लेने हेतु विद्यार्थी को कक्षा-7 में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट होगी) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छात्र-छात्राओं के चयन (मेधा सूची) हेतु राज्य स्तर पर देय आरक्षण अनुमान्य होगा। विकलांग छात्र-छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अधिक समय दिया जायेगा।

4. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या-826 दिनांक-14.03.2019 की कंडिका-8 (III) की उपकंडिका-ii में चयन हेतु Cut off के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :-

ii. उक्त चयन परीक्षा में राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर भी क्रमशः न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। यह अंक कुल पूर्णांक के आधार पर 7 (III) (i) के शर्त के साथ प्रभावी होगा।

उक्त उपकंडिका-ii के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है -

ii. उक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। चयन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा सभी खण्डों में 40 प्रतिशत (SC/ST विद्यार्थियों के लिये 35 प्रतिशत अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर

विचार नहीं किया जायेगा। यह अंक कुल पूर्णांक के आधार पर 8 (III) (i) के शर्त के साथ प्रभावी होगा।

5. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या-826 दिनांक-14.03.2019 की कंडिका-9 में छात्रवृत्ति योजना के तहत निम्न तीन स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने तथा छात्रवृत्ति की राशि/अहर्ता के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :-

क्र.	स्तर	राशि (वार्षिक)	अहर्ता
1.	राज्य स्तर	12,000 / -	- कक्षा-8 पास/शामिल - अभिभावक की वार्षिक आय बाध्यता नहीं होगी 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित - झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा सभी खण्ड 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2.	जिला स्तर	6,000 / -	- कक्षा-8 पास/शामिल 50% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित - अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख या उससे कम - झारखण्ड अधिविद्या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक तथा सभी खण्ड में 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3.	प्रखण्ड स्तर	3,000 / -	- कक्षा-8 पास/शामिल 50% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित - अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख या उससे कम - झारखण्ड अधिविद्या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक तथा सभी खण्ड में 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

340
21/02/2022

उक्त कंडिका-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

9. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत निम्नवत् छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी

क्र.सं.	स्तर	राशि (वार्षिक)	अहर्ता
1.	राज्य स्तर	12,000 / -	- कक्षा-8 पास/शामिल - अभिभावक की वार्षिक आय बाध्यता नहीं होगी 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित - झारखण्ड अधिविद्या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा सभी खण्ड 40% (SC/ST विद्यार्थियों के लिये 35%) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या-826 दिनांक-14.03.2019 की कंडिका-10 में जिला स्तर पर छात्रवृत्ति की संख्या के निर्धारण के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :-

(क) जिला स्तर पर जिला में प्रखण्ड संख्या तथा आबादी के आधार पर छात्रवृत्ति की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :-

क्र.	जिला की संख्या	प्रखण्ड की संख्या	जनसंख्या	छात्रवृत्ति की संख्या
1.	06	1-7	12 लाख से कम	100
2.	12	8-12	12 से 15 लाख के बीच	150
3.	06	>13	15 लाख से अधिक	200

(ख) अत्यन्त पिछड़े जिले यथा: सिमडेगा (10), खूँटी (6), लोहरदगा (7), पाकुड़ (6), साहेबगंज (9) एवं चाईबासा (18) जिला में उपरोक्त अंकित छात्र संख्या के दुगुने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त पिछड़ा जिला के रूप में चिन्हित कर विशेष आवंटन रुपया 50.00 करोड़ का उपलब्ध कराया जा रहा है। कंडिका 10 (क) में अंकित सं० का double देय होगा।

उक्त कंडिका-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

10. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी जिलों के लिये प्रत्येक वर्ष समेकित रूप से छात्रवृत्ति की संख्या 5000 होगी, जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा संचालित परीक्षा में निर्धारित Cut off के आधार पर सफल विद्यार्थियों को दिया जायेगा।

7. संकल्प संख्या-826 दिनांक 14.03.2019 की कंडिका-13 को विलोपित किया जाता है।

8. इस योजना के तहत वर्ग 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक वर्ष 5000 नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जायेगा अतः अधिकतम 20000 छात्रों का दायित्व राज्य सरकार पर किसी वर्ष में होगा। एक जिले से चयनित किये जाने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या 400 तक सीमित रखी जायेगी।

इस प्रकार योजना के प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अधिकतम रुपये 600000000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र, द्वितीय वर्ष अधिकतम रुपये 1200000000/- (बारह करोड़ रुपये) मात्र, तृतीय वर्ष अधिकतम रुपये

1800000000/- (अठारह करोड़ रुपये) मात्र एवं चतुर्थ तथा अन्य वर्षों में अधिकतम रुपये 2400000000/- (चौबीस करोड़ रुपये) मात्र का व्ययभार राज्य सरकार पर पड़ेगा।

9. उक्त संकल्प की शेष कड़िकाएँ यथावत् रहेंगी।
10. इस हेतु विभागीय संलेख ज्ञापांक-48 दिनांक-06.01.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.02.2022 की बैठक में मद संख्या-37 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-12/छा06-01/2021.....340

राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड ई-गजट के रूप में आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 प्रतियाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-12/छा06-01/2021.....340

राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपि:- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापक-12/छा06-01/2021-346

राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपि :- श्री असीम किस्पोट्टा, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट

-सह-ऑनलाईन सर्विसेस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसे State Portal एवं विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


18/02/22

सरकार के सचिव।

4

12

